

### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 13, 2018/चैत्र 23, 1940 No. 153] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 13, 2018/CHAITRA 23, 1940

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

# (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 10 अप्रैल. 2018

एफ. सं. मानक/साल्ट/एमआईएससी/एफएसएसएआई-2016(पीटी-1).—कतिपय विनियमों में आगे संशोधन हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011, जिसमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के साथ निम्न प्रारूप बनाने का प्रस्ताव करता है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की उप-धारा (1) के माध्यम से अपेक्षितानुसार, एतद्द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को जानकारी और सूचना देते हैं कि कथित प्रारूप विनियम पर इस अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएंगी, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात, विचार किया जाएगा।

आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य एवं औषध प्रशासन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.inपर भेजी जा सकती हैं;

आपत्ति और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन प रविचार किया जाएगा।

2181 GI/2018 (1)

# प्रारुप विनियम

- 1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**.-(1)इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा औरमानक (विक्रय पर प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 है।
  - (2) ये विनियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्रि पर निषेध एवं प्रतिबंध) विनियम, 2011 में-
  - (क) विनियम 2.3 में, उपविनियम 2.3.12 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"2.3.12 सामान्य नमक के विक्रय पर निर्बंधन: कोई भी व्यक्ति तब तक सामान्य नमक की विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापना नहीं करेगा या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसे अपने परिसर में नहीं रखेगा जब तक की उसे सीधे मानव उपभोग के लिए या खाद्य उत्पाद में सहयोज्य के रूप में प्रयोग के लिए आयोडीन युक्त नहीं बना दिया जाता है:

परंतु सामान्य नमक का, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.4 (21 और 42) में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणा के अधीन आयोडिनीकरण, लौह प्रबलीकरण, पशु उपयोग, औषधि विनिर्माण, औद्योगिक उपयोगऔर प्रयोगशाल में विश्लेषण के उपयोग के लिए विक्रय किया जा सकेगा या उसे विक्रय के लिए रखा जा सकेगा या विक्रय के लिए भंडारित किया जा सकेगा।

[विज्ञापन–III/4/असा.–/28/18]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गएः–

- (i) फा.सं.4/15015/30/2011, दिनांक 8 फरवरी, 2013.
- (ii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016,दिनांक 23 अगस्त, 2016और
- (iii) फा.सं.मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, दिनांक 23 अगस्त, 2016।

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2018

**F.No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1).**--The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug AdministrationBhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at <a href="mailto:regulation@fssai.gov.in">regulation@fssai.gov.in</a>.

Objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of period so specified, will be considered by the Food Authority.

### **Draft Regulations**

- 1. **Short title and commencement-**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Amendment Regulations, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on sales) Regulations, 2011, in regulation 2.3, for sub-regulation 2.3.12, following shall be substituted namely:
- "2.3.12: Restriction on sale of common salt-No person shall sell or offer or expose for sale or have in his premises for the purpose of sale, common salt, for direct human consumption or for use as an ingredient in a food productunless the same is iodized:

Provided that common salt may be sold or exposed for sale or stored for sale for iodization, iron fortification, animal use, manufacturing medicines and industrial use, under proper label declarations, as specified in the Regulation 2.4.4 (21 & 42) of Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) regulations, 2011."

[ADVT.-III/4/Exty./28/18]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive officer

**Note:-** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1<sup>st</sup> August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F.No.4/15015/30/2011, dated the 8<sup>th</sup>February, 2013.
- (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23<sup>rd</sup> August, 2016.
- (iii) F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23<sup>rd</sup> August, 2016.